माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित् अम्बिकापुर
ग्राम केरता जिला–सूरजपुर (छ0ग0)
पंजीयन क्रमांक–डी.आर./अम्बिकापुर/2121 दिनांक 15 अक्टूबर 2006
पेराई सत्र 2024–25 में उत्पादित शक्कर विक्रय हेतु ई–निविदा प्रपत्र

भाग–2 (तकनीकी भाग)

कारखाना स्थल : ग्राम–केरता, तहसील – प्रतापपुर, जिला – सूरजपुर (छ0ग0)

फर्म का नाम व पता ....
....
....

दिनांक –

निविदा फार्म जारीकर्ता के हस्ताक्षर

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित-अम्बिकापुर ग्राम केरता

शक्कर विक्रय हेतु निविदा का प्रपत्र

निविदा क्रमांक : 832 **दिनॉक** : 10/05/2025

(नोटः निविदा फार्म तीन भागों में है जिसमें प्रथम भाग को ई0एम0डी0 भाग - एक में रखा जाएगा द्वितीय भाग तकनीकी भाग जिसे भाग - दो में रखा जाएगा और तीसरे भाग को व्यावसायिक भाग जिसे भाग - तीन में ऑनलाईन भरा जावेगा, ई-निविदा में निविदाकारों द्वारा भाग लेने के लिए ई-निविदा की बेब-साईट में जाकर फार्म **राशि 1311.00 रूपये (1000.00 रूपये + 311.00 रूपये चिप्स के द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज)** ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर शासकीय बेब-साईट **(E-Procurement Portal :- https://eproc.cgstate.gov.in)**से फार्म **Upload** किया जाना है प्रत्येक पृष्ट पर निविदाकार का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। किसी फर्म/व्यवसायी के प्रतिनिधि द्वारा निविदा प्रस्तुत किया जाता है, तो इस आशय का अधिकार - पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)

निविदा प्रपत्र का विक्रय मूल्य : 1000.00 (एक हजार रूपये मात्र)

2. तकनीकी भाग (भाग - दो में रखें)

प्रति,

प्रबंध संचालक,
माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित- अम्बिकापुर

आपके कारखाना द्वारा प्रकाशित ई-**निविदा क्रमांक** 832 दिनॉक 10/05/2025 व्यावसायिक भाग में (भाग-तीन) दर्शाए अनुसार शक्कर की मात्रा उनके सामने दर्शाए गये मूल्य पर क्रय करने हेतु दर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं/मेरे फर्म द्वारा शक्कर क्रय/विक्रय/परिवहन/भण्डारण से संबंधित अधिनियमों/नियमों और केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा तत्संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के साथ ही माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित - अम्बिकापुर द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानदण्डों का पालन करने की सहमति देता हूँ।

एक - व्यवसायी/फर्म का विवरण :-

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता - ....
....
....
2. मालिक/संचालक का नाम ....
3. दूरभाष/मोबाईल नम्बर ....
4. ई-मेल आई.डी. ....
5. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर ....
6. पैन नम्बर ....
7. FSSAI Registration Number ....वैधता तिथि......................

दो – व्यवसायी/फर्म के प्रतिनिधि का विवरण –

यदि प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा प्रस्तुत किया जा रहा हो तो प्रतिनिधि के संबंध में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से दिया जावे –

1. प्रतिनिधि का नाम एवं पूर्ण पता – ....

....

....

2 दूरभाष/मोबाईल नम्बर ....

3. फैक्स' नम्बर ....

4. प्रतिनिधि का पता ....

मैं माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित–अम्बिकापुर ग्राम–केरता द्वारा जारी **निविदा क्रमांक** 832 **दिनॉक** 10/05/2025 के लिए श्री/मेसर्स...पता. .... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। उक्त फर्म द्वारा मुझे इस कार्य हेतु अधिकृत किया गया है। अधिकार पत्र इस निविदा के तकनीकी भाग में लिफाफा–दो में सलग्न कर रहा हूँ। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही और सत्य है। मैने शक्कर विक्रय से संबंधित नियमों/शर्तो को पढ़ और समझ लिया है। जो मुझे मान्य है। इस निविदा के संबंध में मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कृत्य निविदा से संबंधित फर्म/व्यवसायी, की ओर से किया गया माना जाएगा। किसी प्रकार से गलत पाये जाने पर मै जिम्मेदार रहूँगा।

निविदाकार/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

तीन – ई–निविदा का प्रस्तुतीकरण एवं खोलना –

निविदाकार को ई–निविदा प्रस्तुत करने हेतु तीन भाग में अपलोड़ किया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम भाग में ई.एम.डी. की राशि (आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी.) एवं ई0एम0डी0 भाग –1, दुसरे भाग में ई–निविदा की नियम एवं शर्ते के अनुसार उद्योग/फर्म से सम्बंधित सम्पूर्ण दस्तावेज संचालक/मालिक का पैन कार्ड की छायाप्रति, उधोग/उद्यमी का नाम**, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर** की छायाप्रति., खाद्य विभाग से जारी **FSSAI Registration प्रमाण पत्र** की छायाप्रति, तीन वर्ष का **आयकर रिर्टन** अथवा तीन वर्ष का **बायलेन्स सीट (निरन्तर होना अनिवार्य है।)** की छायाप्रति एवं तकनीकी भाग को अपलोड़ किया जाना होगा। तथा तीसरे भाग में निविदा मात्रा एवं दर संबंधी प्रपत्र अपलोड़ करना होगा। उक्त भागों में ई–निविदा में **https://eproc.cgstate.gov.in**) में अपलोड़ किया जाना अनिवार्य होगा।

प्रबंध संचालक/उनके द्वारा अधिकृत समिति द्वारा सर्व प्रथम "भाग-एक" ई0एम0डी0 भाग को खोला जावेगा, ई0एम0डी0 राशि जमा पाये जाने भाग-दो तकनीकी भाग को खोला जाएगा जिसके तकनीकी भाग सही पाये जाने पर ही "भाग-तीन" व्यावसायिक भाग को खोला जाएगा।

चार – निविदा की शर्ते :-

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित – अम्बिकापुर से शक्कर क्रय करने वाले फर्म/व्यवसायी का नीचे उल्लेखित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

1. निविदाकार द्वारा शक्कर क्रय करने हेतु खाद्य विभाग से जारी वैध लाईसेन्स जिसमें शक्कर का उल्लेख हो छाया प्रति निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित एवं फर्म का मोहर के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

2. कंडिका क्रमांक **तीन** में दिये गये समस्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित एवं फर्म का मोहर के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

3. शक्कर क्रय करने के लिए भाव पत्र **एम-30 हेतु न्यूनतम 1000 मी.टन** मात्रा की होगी। न्यूनतम मात्रा से कम मात्रा के लिये दर प्रस्तुत होने की स्थिति में आपकी निविदा अमान्य किया जाएगा। मात्रा का उल्लेख नहीं होने पर निविदा अस्वीकार की जावेगी। मात्रा की परिवर्तन कारखाना प्रबंधन द्वारा किया जा सकेगा।

4. निविदा में उचित दर प्राप्त नहीं होने की स्थति में निविदा कमेटी द्वारा निविदाकार के साथ निगोसियेसन किया जा सकता है जो कि अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। एवं सभी निविदाकारों को निविदा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

5. निविदा भरते समय निविदाकार अपने तरफ से किसी प्रकार की शर्ते/टीप प्रस्तुत निविदा में उल्लेख नहीं करेगा यदि निविदाकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जावेगा।

6. निविदा में दर का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंको एवं शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए। काट-छॉट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

7. निविदा फार्म दिनॉक 11/05/2025 **को समय दोपहर 12.00 बजे से दिनांक** 16/05/2025 को दोपहर 12.00 बजे तक माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित – अम्बिकापुर जिला सूरजपुर छ0ग0 की ई-निविदा में निविदाकारों द्वारा भाग लेने के लिए ई-निविदा बेब-साईट में जाकर फार्म राशि ऑन लाईन के माध्यम से जमा कर शासकीय बेब-साईट https://eproc.cgstate.gov.in) में फार्म Upload किया जा सकता है।

8. निविदा दिनॉक **16/05/2025 को दोपहर 12:05 बजे के बाद** कारखाना कार्यालय ग्राम केरता में निविदा कमेटी के समक्ष खोला जायेगा जिसमें निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

9. निविदाकार द्वारा ई-निविदा में जमा ई0एम0डी0 की राशि के आधार पर ही शक्कर की मात्रा निर्धारित किया जावेगा।

10. ऐसे निविदाकार जिसके द्वारा तकनीकी भाग में अपात्र किया गया है उन फर्मो का व्यावसायिक भाग नहीं खोला जावेगा। एवं उनके निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

11. **भारत सरकार शर्करा निदेशालय नई दिल्ली से माह मई 2025 के लिए 1212 मी.टन शक्कर विक्रय हेतु मासिक कोटा प्राप्त हुआ है। राज्य शासन के निर्णयानुसार सहकारी शक्कर कारखानों द्वारा प्राप्त मासिक कोटा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत पीडीएस हेतु मांग पत्र के आधार पर नागरिक आपूर्ति निगम को प्रदाय किया जाता है। वर्तमान में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा माह मई 2025 में प्राप्त मासिक कोटा हेतु मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। यदि माह मई 2025 के मासिक कोटा की मांग नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा की जाती है तो नागरिक आपूर्ति निगम को मांग किये गये मात्रा का शक्कर विक्रय किया जावेगा। मांग प्राप्त नहीं होने की स्थिति में या यदि कोई मात्रा शेष रह जाती है या माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से तथा अन्य कोई कोटा इस अवधि में प्राप्त होता है तो निविदाकार को दर स्वीकृत होने पर विक्रय आदेश जारी किया जा सकेगा। उक्त सम्बंध में कारखाना प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।**

12. दर स्वीकृत होने पर क्रय हेतु प्रस्तावित शक्कर क्रय की सम्पूर्ण राशि विक्रय आदेश के दिनांक से दिनांक **31/05/2025** तक कारखाने के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा।

13. क्रय की गई सम्पूर्ण शक्कर का उठाव दिनॉक **31/05/2025** तक अनिवार्यतः करनी होगी। एवं विक्रय आदेश दिनांक से अंतिम दिनांक तक में कुल मात्रा का औसतन प्रतिदिन मात्रा को उठाव करना अनिवार्य होगा। तिथि व्यतीत हो जाने के उपरान्त शक्कर का उठाव नहीं करने दिया जाएगा। और जमा ई.एम.डी. की राशि जप्त कर ली जाएगी। औसतन शेष मात्रा को अन्य फर्मो को विक्रय किया जा सकेगा।

14. विक्रय आदेश का सम्पूर्ण मात्रा को औसतन प्रति दिवस उठाव करना अनिवार्य होगा, प्रति दिवस औसतन मात्रा को उठाव नहीं करने पर औसतन उठाव हेतु शेष मात्रा का आदेश निरस्त करते हुए उक्त मात्रा को अन्य फर्म को विक्रय आदेश जारी किया जावेगा।

15. शक्कर क्रय की राशि जमा एवं उठाव हेतु समय की गणना जारी आदेश से शासकीय एवं सप्ताहिक अवकाश के दिनों को मिलाकर की जावेगी।

16. निविदा प्रपत्र के साथ 10 प्रतिशत ई0एम0डी0 राशि जमा किया जाना अनिवार्य है तथा शक्कर का विक्रय निविदा में जमा ई0एम0डी0 राशि के आधार पर निविदा में प्राप्त उच्चतम दर को प्राथमिकता के आधार पर जमा ई0एम0डी0 के अनुसार ही सौदा दर्ज किया जावेगा।

17. निविदा प्रपत्र में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरान्त उसका पूरा नाम पता एवं किस हैसियत से जैसा की स्वामी भागीदार मस्तयार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया उसका उल्लेख करना अनिवार्य है। निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर निविदा प्रस्तुत की जाती है तो इस सम्बंध में नोटरी द्वारा सत्यापित अधिकार पत्र के दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सत्यापित अधिकार पत्र के आभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा अगर कम्पनी/समिति द्वारा अधिकार पत्र जारी किया जाता है तो अधिकार पत्र पर सभी भागीदारों के नाम सहित फर्म/कम्पनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षरमय सील होना अनिवार्य है। भागीदार फर्म होने की दशा में भागीदार के नाम, पता, फोटो, पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति सहित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके हर पृष्ट पर निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

18. गोदाम में उपलब्ध स्टॉक के बारदाने में पेराई सीजन उत्पादन वर्ष **2023-24, 2024-25** लिखा हुआ है, परन्तु शक्कर उत्पादन वर्ष 2024-25 का भरा हुआ है। अतः पेराई सीजन **2024-25** पढ़ा जावे।

19. निविदाकार को शासन के नियमानुसार प्रचलित दर पर सभी कर/शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा। निविदाकार को शक्कर की डिलवरी शक्कर कारखाना गोदाम से 'जो है

जैसा है' की स्थिति में दी जावेगी। गाडियों में शक्कर लोडिंग का भुगतान निविदाकार को करना होगा।

20. निविदा फार्म सबमिट करने के पहले निविदाकार/फर्म के द्वारा स्वयं या अपने प्रतिनिधि के द्वारा मॉल की गुणवत्ता सुनिश्चित करें तत्पश्चात विक्रय किया हुआ शक्कर कारखाने से बाहर ले जाने के बाद वापस नहीं लिया जावेगा तथा कारखाने से बाहर जाने के पश्चात मॉल सम्बंधी किसी भी विवाद के लिए कारखाना जिम्मेदार नहीं रहेगा।

21. शक्कर का उठाव कार्यालीन दिवसों में और कार्यालयीन समय पर ही किया जा सकेगा। शक्कर डिलेवरी हेतु वाहनों का प्रवेश सुबह 10.30 बजे से 03.30 बजे एवं निर्गमन शाम 05.30 बजे तक किया जावेगा।

22. शक्कर डिलवरी लेते समय पार्टी स्वयं या अपने प्रतिनिधि के समक्ष गाडी लोड करावें। विक्रय किया हुआ शक्कर कारखाने से बाहर ले जाने के बाद कारखाने की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

23. जिस फर्म के नाम से विक्रय आदेश जारी की जायेगी बिल उसी के नाम से बनेगा।

24. छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन के निर्देशानुसार शक्कर की डिलवरी, वाहनों की मानक लोडिंग क्षमता के अनुसार पेपर देखने के पश्चात शक्कर की डिलवरी दिया जावेगा।

25. केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश, मूल्य निर्धारण, कर/टैक्स/शेष का भुगतान शासन के नियमानुसार देय होगा, यदि शासन द्वारा भविष्य में न्युनतम शक्कर विक्रय मूल्य अथवा टैक्स में वृद्धि की जाती है तो दर एवं टैक्स की भावांतर राशि क्रेता द्वारा देय होगा।

26. शक्कर की डिलेवरी हेतु प्रत्येक गाड़ी की बिल्टी गाड़ी के साथ लाना अनिवार्य होगा। बिल्टी प्रस्तुत करने के पश्चात ही गाड़ी लोडिंग करने हेतु अनुमति प्रदान की जावेगी।

27. विक्रय की गई सम्पूर्ण शक्कर की राशि जमा एवं उठाव निर्धारित समय में नहीं होने पर ई0एम0डी0 राशि राजसात एवं आदेश निरस्त के सम्बंध में प्रबंधन/निविदा कमेटी का निर्णय मान्य होगा।

28. क्रय की गई संपूर्ण शक्कर की उठाव नियमित रूप से प्रति दिन करनी होगी, उठाव समय में नहीं होने पर किसी प्रकार की आर्थिक व्यय एवं क्षति की जिम्मेदारी क्रेता की होगी एवं ई0एम0डी0 राशि जप्त कर ली जावेगी।

29. निविदा में क्रय की गई सम्पूर्ण शक्कर का उठाव नियमित रूप से प्रति दिन नहीं किये जाने एवं उठाव संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में बिच में ही उसी निविदा दर पर अन्य फर्म को विक्रय आदेश जारी किया जा सकता है जिसकी जिम्मेदारी पूर्व में क्रय करने वाली क्रेता की होगी।

30. शक्कर विक्रय की मात्रा कमी या अधिक करने का अधिकार कारखाना प्रबंधन/निविदा कमेटी की होगी।

31. ई0एम0डी0 की राशि का शक्कर विक्री के बिल में समायोजन/भुगतान शक्कर की सम्पूर्ण मात्रा का उठाव के पश्चात ही ई0एम0डी0 की राशि वापस/समायोजित की जावेगी।

32. निविदा फार्म सबमीट करने के समय निविदाकार के द्वारा निविदा में क्रय करने की मात्रा के साथ ही साथ 10 प्रतिशत (10%) ई.एम.डी. की राशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी राशि कम पाए जाने पर निविदा फार्म निरस्त माना जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी

33. निविदाकार/क्रेता के द्वारा शक्कर ई-निविदा तथा विक्रय आदेश में दिए गए शर्तो एवं नियम के तहत शक्कर की राशि जमा तथा उठाव निर्धारित समय-सीमा में नही किये जाने की

स्थिति में उक्त फर्मो/निविदाकार/क्रेता को ब्लेकलिस्ट करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रबंधन की होगी।

34. निविदा में भाग लेने हेतु यदि प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है तो इस आशय का अधिकार पत्र देना अनिवार्य होगा।

35. किसी भी प्रकार के विवाद होने की दशा में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) ही वाद दायर किया जा सकेगा।

36. इस फार्म की 1 से 34 तक की नियम व शर्ते पूर्णतः समझकर मेरे द्वारा निविदाफार्म में नीचे हस्ताक्षर किया गया।

पांच : – प्रशासक/प्रबंध संचालक/क्रय विक्रय समिति का अधिकार :–

प्रशासक/प्रबंध संचालक अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/क्रय विक्रय समिति को निम्नानुसार अधिकार होगा।

1. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन/निगोशियेशन संबंधी संपूर्ण अधिकार।
2. प्रशासक/प्रबंध संचालक/उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/क्रय विक्रय समिति की दृष्टि में निविदा निरस्त करने योग्य कोई कारण हो तो किसी भी समय निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में निविदाकार को कारण बताना आवश्यक नही होगा।
3. प्रशासक/प्रबंध संचालक/उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/क्रय विक्रय समिति को निविदा में सम्पूर्ण मात्रा का निर्धारित उठाव तिथि में समयावधि बढ़ाये जाने का सम्पूर्ण अधिकार।
4. फर्म/व्यवसायी द्वारा निर्धारित शर्तो का पालन नही करने पर अमानत राशि जप्त करने/अन्य फर्म/व्यवसायी को शेष शक्कर की मात्रा विक्रय करने एवं अन्य समवर्ती सम्पूर्ण अधिकार।
5. किसी भी शर्त को शिथिल करने अथवा कोई अन्य शर्त आरोपित का सम्पूर्ण अधिकार।
6. निविदाकार/क्रेता के द्वारा शक्कर ई–निविदा तथा विक्रय आदेश में दिये गये शर्तो एवं नियम के तहत शक्कर की राशि जमा तथा उठाव निर्धारित समय सीमा में नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त फर्मो/निविदाकार/क्रेता को ब्लेकलिस्ट करने का सम्पूर्ण अधिकारी प्रशासक/प्रबंध संचालक/क्रय विक्रय समिति की होगी।

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही और सत्य है जिनके गलत पाये जाने पर कारखाना प्रबंधन द्वारा किसी भी स्तर पर निविदा/विक्रय आदेश निरस्त कर सकती है। शक्कर कारखाना द्वारा शक्कर विक्रय हेतु निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रियाओं को पढ़ और समझ लिया है जो मुझे मान्य है। मेरे द्वारा शक्कर क्रय हेतु निविदा दर लिफाफा–तीन व्यावसायिक भाग पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

निविदाकार/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

दिनॉक ....../........./2025 **नाम ....**